

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-1, नगीना, जिला बिजनौर।
फौ० वाद सं०- 70/2020
सरकार बनाम

महेन्द्र सिंह।
धारा- 60 आबकारी अधिनियम
थाना- रेहड़, जिला बिजनौर।
मु०अ०सं० 01/2020

आरोप

मैं, **अन्नू** न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं०-1, नगीना, जिला बिजनौर आप **महेन्द्र सिंह** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ :-

यह कि दिनांक 01-01-2020 को समय करीब 14:30 बजे बहद स्थान पुलिया से 100 कदम की दूरी पर ग्राम दहलावाला अंतर्गत थाना क्षेत्र रेहड़, जिला बिजनौर में आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपके कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकैन में 10 लीटर अवैध शराब खाम बरामद हुई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **60 आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि आपका विचारण उक्त अपराध में इस न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा किया जाये।

दिनांक: **06-04-2024**

(**अन्नू**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-1,
नगीना, जिला बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया और न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रार्थना की।

दिनांक: **06-04-2024**

(**अन्नू**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-1,
नगीना, जिला बिजनौर।